दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

सुरक्षित : 17 अगस्त, 2021
निर्णीत : 24 अगस्त, 2021

ज़मानत अर्ज़ी 4111/2020

नादिर उर्फ़ शाह आलम ....याचिकाकर्ता

द्वारा: श्री सम्राट निगम, अधिवक्ता ।

बनाम

रा.रा.क्षे. दिल्ली राज्य ....प्रत्यर्थी

द्वारा: श्री अमित गुप्ता, राज्य के लिए अति.लो.अभि संग उप.नि. संतोष कुमार, थाना मंडावली |
श्री वी.एस. दुबे, शिकायतकर्ता के अधिवक्ता |

कोरम:
माननीय न्यायाधीश सुश्री मुक्ता गुप्ता

1. इस याचिका के द्वारा, याचिकाकर्ता ने थाना मंडावली, दिल्ली में भा.दं.सं. की धारा 302/392/397/120बी/34 तथा आयुध अधिनियम की

धारा 25/27 के तहत पंजीकृत प्राथमिकी सं. 247/2020 में नियमित ज़मानत की मांग की है।

2. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि याचिकाकर्ता को दिनांक 14 जून, 2020 को उपरोक्त प्राथमिकी में गिरफ्तार किया गया था और उस दिन से वह हिरासत में है। याचिकाकर्ता के खिलाफ दायर आरोप-पत्र में याचिकाकर्ता के खिलाफ अभियोजन पक्ष के पास कोई भी विधिक रूप से स्वीकार्य सबूत नहीं है। याचिकाकर्ता से उसके स्वयं के मोबाइल फोन को छोड़कर कोई भी बरामदगी नहीं हुई है जिसका कथित अपराध को कारित किए जाने से कोई संबंध नहीं है। पूरे आरोप-पत्र में याचिकाकर्ता को कोई उद्देश्य नहीं दर्शाया गया है और याचिकाकर्ता का सम्बन्ध किसी भी तरह से कथित अपराध के कारित किए जाने से नहीं है। यह आरोप कि याचिकाकर्ता ने उस क्षेत्र की रेकी की जहां बाद में अन्य आरोपियों ने कथित अपराध किया है, इस इन्केशाफ़ पर आधारित है,

जिससे कोई भी बरामदगी नहीं हुई है और इसलिए यह सबूत के रूप में स्वीकार्य नहीं है। इस तथ्य के बावजूद कि पूरे क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरे हो सकते हैं जो याचिकाकर्ता को घटना की तारीख को रेकी करते दिखा सकते हैं, हालांकि, किसी भी सीसीटीवी फुटेज पर भरोसा नहीं जताया गया है । कथित अपराध के क्षेत्र के आसपास याचिकाकर्ता के मोबाइल फोन की लोकेशन इस कारण से असंगत है क्योंकि याचिकाकर्ता जोशी कॉलोनी का निवासी है जो घटना स्थल से लगभग तीन किलोमीटर दूर है और उसकी लोकेशन उस स्थान पर होगी। अभियोजन पक्ष के पास यह भी दिखाने के लिए कोई तथ्य नहीं है कि याचिकाकर्ता साजिश का एक हिस्सा था। आगे यह कहा गया है कि अभियोजन पक्ष द्वारा याचिकाकर्ता की उन दो संलिप्ताओं पर भरोसा जताना इसलिए गलत है क्योंकि उन दोनों मामलों में से एक में याचिकाकर्ता को पहले ही बरी कर दिया गया है। याचिकाकर्ता परिवार का भरण-पोषण करने वाला एकमात्र व्यक्ति

है, जिसमें उसकी पत्नी और दो साल की एक बेटी शामिल है और ज़मानत देते समय इस न्यायालय द्वारा लगाई गई किसी भी शर्त का पालन करने का वचन देता है।

3. दूसरी ओर राज्य के विद्वान अति.लो.अभि प्रतिविरोध करते हैं कि याचिकाकर्ता उपरोक्त प्राथमिकी में सह-साजिशकर्ता है जिसके परिणामस्वरूप राहुल सिंह की निर्दयता से गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मृतक की सह-साजिशकर्ता करतार भाटी के साथ पुरानी दुश्मनी थी और याचिकाकर्ता का मोबाइल फोन अन्य आरोपियों के साथ उसका संबंध दिखाता है, जिसने राहुल सिंह की हत्या का अपराध किया था और इस तरह वह साजिश का एक हिस्सा था। चूंकि अहम गवाहों की गवाही होनी बाकी है, इसलिए याचिकाकर्ता को ज़मानत नहीं दी जानी चाहिए, इसके अतिरिक्त याचिकाकर्ता की दो अन्य संलिप्तताएँ हैं।

4. उपरोक्त प्राथमिकी दिनांक 3 जून, 2020 को थाना मंडावली में प्राप्त एक पीसीआर कॉल के अनुसरण में दर्ज की गई थी तथा डीडी सं. 12-ए द्वारा पंजीकृत की गई थी । मौके पर पहुंचने पर, जांच अधिकारी ने पाया कि अदिति अपार्टमेंट में राहुल सिंह गोली लगने की चोटों के साथ खून में लथपथ पड़ा था तथा खाली कारतूस भी पड़े थे ।

5. राहुल सिंह के भाई करतार सिंह का बयान दिनांक 3 जून, 2020 को ही दर्ज किया गया था, जिसने बताया था कि सूचना मिलने पर वह तुरंत उस स्थान पर पहुंच गया था जहां उसका भाई फर्श पर पड़ा था व खून बह रहा था । इस बीच, एक पुलिस वाहन आया और वह उसके भाई को पीसीआर वैन में मैक्स अस्पताल ले गया । करतार सिंह के अनुसार, उसका भाई राहुल नागर एक सामाजिक कार्यकर्ता था और उसके भाई ने कई बार करतार भाटी को रोका था जो पहले उनके घर के पास रहता था और जो अब नोएडा, उत्तर प्रदेश में रह

रहा था, जिसके कारण नवंबर, 2019 में राहुल नागर और करतार भाटी के बीच विवाद हुआ था जिसके बाद सुमित के साथ करतार भाटी ने उसके भाई की हत्या करने का प्रयास किया था, लेकिन उसका भाई सौभाग्य से बच गया था और इस संबंध में एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी। उसने आगे कहा कि घटना से 15-20 दिन पहले, उनके भाई राहुल सिंह उर्फ़ भूरू ने उसको बताया था कि करतार भाटी का भतीजा सचिन एक अन्य लड़के के साथ उनके घर आया था और उनसे अपना मुकद्दमा वापस लेने के लिए कहा था अन्यथा उनके लिए अच्छा नहीं होगा। उसने करतार भाटी, उसके भतीजे सचिन भाटी और उनके सहयोगियों पर उसके भाई की हत्या करने की आशंका व्यक्त की थी, जब वह सुबह सैर कर रहे थे।

6. इसी तरह का बयान राहुल सिंह उर्फ़ भूरू के दूसरे भाई सतीश सिंह द्वारा भी दर्ज किया गया था, जिसने नवंबर, 2019 में हत्या के पहले प्रयास और मामले को वापस लेने के लिए उसके भाई को दी

गई धमकी के मद्देनजर करतार भाटी, उसके भतीजे सुमित भाटी और उनके सहयोगियों पर भी संदेह व्यक्त किया था।

7. तकनीकी निगरानी रखने पर अभिषेक और रिंकू नाम के दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया जिनसे पता लगा कि वे उत्तर प्रदेश के निवासी थे और अन्य अभियुक्तों नामतः सचिन भाटी, सुमित, विपिन नागर, करतार भाटी ने राहुल उर्फ़ भूरू की हत्या की योजना बनाई थी | उनका मामला यह था कि करतार भाटी और सचिन भाटी के निर्देश पर वे वर्तमान याचिकाकर्ता, यानी नादिर उर्फ़ शाह आलम और नफीस से मिले, जिन्हें वित्तपोषित किया गया था और इस तरह उन्होंने स्थानीय सहायता प्रदान की। स्थिति आख्या के अनुसार करतार भाटी पहले कई मामलों में शामिल रहा था और वह सह-आरोपी सुमित के साथ पहले राहुल सिंह उर्फ़ भूरू की हत्या के प्रयास के मामले में शामिल था, जिसके कारण प्राथमिकी सं. 384/2019 दर्ज की गई थी । करतार भाटी को प्राथमिकी

सं. 384/2019 में गिरफ्तार किया गया था, हालांकि, सुमित को उक्त प्राथमिकी में गिरफ्तार नहीं किया जा सका और वह अपनी गिरफ्तारी से बच रहा था। सचिन भाटी करतार भाटी का भतीजा हैं।

8. घटना के समय चश्मदीद गवाहों के बयान भी दर्ज किए गए हैं, जिनमें पूरन चंद भी शामिल हैं, जो अदिति अपार्टमेंट में गार्ड था, जिसने बताया था कि वह प्रेम सिंह के साथ दिनांक 2 जून, 2020 को रात 8 बजे से दिनांक 3 जून, 2020 को सुबह 8 बजे तक ड्यूटी पर था । सुबह लगभग 7.15 से 7.30 बजे उन्होंने एक कार के अपार्टमेंट में प्रवेश करने के लिए लिए दरवाजा खोला। एक व्यक्ति अपार्टमेंट में घुसा और उसके बाद चार अन्य लड़के भी आए जिनके हाथों में पिस्तौल थी। सभी चार लड़के पार्किंग की ओर गए और एक व्यक्ति पर गोली चलाई जो नीचे गिर गया और हवा में फायरिंग करते हुए चारों लड़के अपार्टमेंट से बाहर निकल गए। उसके अनुसार यह सब इतनी जल्दबाजी में हुआ कि उसे अहसास ही नहीं हुआ कि क्या

करना है । इस बीच, अपार्टमेंट के लोग इकट्ठा हुए और उन्होंने 100 नंबर पर कॉल किया । इसी तरह का बयान दूसरे गार्ड, प्रेम सिंह नेगी का भी दर्ज किया गया था ।

9. एक व्यक्ति सतीश शर्मा का बयान भी दर्ज किया गया, जिसने बताया कि वह अरुण तिवारी, राहुल कश्यप, राहुल नागर उर्फ़ भूरू के साथ, जो एक ही कॉलोनी में रहते हैं, अदिति अपार्टमेंट, मंडावली के पास डीडीए पार्क में सुबह सैर के लिए जाते थे । घटना के दिन उसने राहुल कश्यप को फोन किया, जिसने बताया कि वह सुबह सैर के लिए नहीं आएगा क्योंकि वह अस्वस्थ है और जब उसने राहुल नागर उर्फ़ भूरू को फोन किया तो उसने कहा कि वह अभी आ रहा है । राहुल सतीश शर्मा से थोड़ा तेज चल रहा था और इसलिए वह उससे आगे था । उस समय दो लड़के राहुल के पास आए और उस पर गोलियां चलाई । राहुल उर्फ़ भुरू पार्क के दरवाजे की ओर भागा जहां दो अन्य लड़कों ने भी राहुल पर गोली चलाई और राहुल पार्क

से बाहर आ गया । सतीश शर्मा भी बाहर आ गया और अदिति अपार्टमेंट से गोलीबारी की आवाज सुनी और देखा कि चार लड़के फायरिंग करते हुए अदिति अपार्टमेंट से बाहर आए और एक लड़के से मोटरसाइकिल छीन ली और वे चारों उक्त मोटरसाइकिल पर बैठकर फरार हो गए ।

10. याचिकाकर्ता के बारे में बताई गई भूमिका यह है कि मुख्य आरोपी के कहने पर, याचिकाकर्ता ने नफीस अहमद के साथ राहुल सिंह उर्फ़ भूरू की हत्या को अंजाम देने के लिए पैसे दिए और सुबह उस क्षेत्र की रेकी की जहां राहुल सिंह उर्फ़ भूरू मौजूद था, साथ ही राहुल सिंह की पहचान घटना के दिन की थी । जमा किए गए सबूतों के अनुसार, याचिकाकर्ता सह-अभियुक्त नफीस अहमद का पड़ोसी है और नफीस अहमद 2004 से आरोपी करतार भाटी का सहयोगी है जो कई मामलों में शामिल है और उत्तर प्रदेश पुलिस की बदमाशों की सूची में शामिल है । इन्केशाफ़ी बयान के संस्करण की पुष्टि

याचिकाकर्ता के सीडीआर विश्लेषण से की हुई थी जिसमें दिखाया गया था कि याचिकाकर्ता ने घटना से दो महीने पहले सचिन भाटी से बात की थी और उसकी एक लोकेशन से यह भी पता चलता है कि वह सचिन भाटी और सुमित के गांव गया था ।

11. राहुल सिंह उर्फ़ भूरू की हत्या दिनांक 3 जून, 2020 को सुबह लगभग 7.30 बजे हुई । इस न्यायालय ने याचिकाकर्ता के मोबाइल फोन लोकेशन के विश्लेषण की एक आख्या मांगी थी, जिससे पता चलता है कि याचिकाकर्ता दिनांक 24 अप्रैल, 2020 और 25 अप्रैल, 2020 को सचिन भाटी और सुमित के गृहनगर गया था, जिस तारीख को उसने सचिन भाटी को भी फोन भी किया था । आगे दिनांक 1 जून, 2020 को सुबह 9.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक याचिकाकर्ता मृतक के घर के आसपास के क्षेत्र में था । यहां तक कि घटना के दिन लगभग 9.00 बजे याचिकाकर्ता घटना स्थल के पास था । भले ही याचिकाकर्ता जिस स्थान पर रहता है, वह तीन किलोमीटर की दूरी

पर है, फोन कॉल रिकॉर्ड के विश्लेषण से पता चलता है कि याचिकाकर्ता के निवास और मृतक के सेल टॉवर अलग थे जिससे दिनांक 3 जून, 2020 को सुबह 9.00 बजे घटना स्थल के पास उसकी लोकेशन इंगित होती है । याचिकाकर्ता और नफीस के बीच कई कॉल हुई हैं जो करतार भाटी का सहयोगी है ।

12. जांच के दौरान, दरवाजे पर गोली चलाने वाले दो लड़कों की पहचान अभिषेक और विपिन के रूप में हुई और सचिन और सुमित ने पार्क के अंदर गोलीबारी की थी । सचिन के हमलावरों में से एक होने और मोबाइल फोन रिकॉर्ड से यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता ने सचिन को एक फोन किया और घटना से पहले उसके घर का भी दौरा किया । साजिश के एक मामले में, प्रत्येक अभियुक्त मौके पर मौजूद नहीं हो सकता है, हालांकि, अगर एकमत सहमति दर्शाने के लिए प्रथम दृष्टया तथ्य मौजूद है और उसके बाद, एक अपराध किया

जाता है, तो याचिकाकर्ता भा.दं.सं. की धारा 302 सहपठित भा.दं.सं. की धारा 120 बी के तहत दंडनीय अपराध के लिए भी जिम्मेदार होगा।

13. सचिन भाटी की पहचान उन हमलावरों में से एक के रूप में की गई है, जिन्होंने हत्या को अंजाम दिया था और जिसने घटना से लगभग 15-20 दिन पहले मृतक को गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी थी, अगर उसने अपने द्वारा दर्ज की गई पहले की प्राथमिकी को वापस नहीं लिया और यह तथ्य कि याचिकाकर्ता सचिन भाटी के साथ फोन पर और खुद उसके गाँव जाकर वास्तविक रूप से भी उसके संपर्क में था, इस स्थिति में, जब अहम गवाहों की गवाही होनी अभी बाकी है, अपराध की गंभीरता को देखते हुए यह न्यायालय याचिकाकर्ता को ज़मानत देने का इच्छुक नहीं है।

14. याचिका खारिज की जाती है।

15. न्यायालय की वेबसाइट पर आदेश अपलोड किया जाए।

न्या. मुक्ता गुप्ता

24 अगस्त, 2021

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण: देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्द्मेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा| समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी|